EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 74—88

Dated 21-01-2012

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 16.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, योधक (हिन्दी अनुवादक) काडर भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में हिन्दी अनुवादक (योधक काडर) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक (हिन्दी अनुवादक) काडर भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **अन्य देशीय की अपात्रता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित में हस्ताक्षरित सहमति के सिवाए इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों की कोई बात नेपाल, सिक्किम या भूटान की प्रजा को इन नियमों के अधीन नियुक्ति या नियोजन से विवर्जित नहीं करेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए शेप-I से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्ता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :—

एस — मनोवैज्ञानिक

एच — श्रवण क्षमता

ए — एपेंडेजेज

पी — शारीरिक क्षमता

ई — दृष्टि क्षमता